

महात्मा ज्योतिबा फुले: महान समाज सुधारक

सारांश

भारतीय समाज क्रांति के जनक ज्योतिबा फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा के "काटगूँ" गाँव में 17 अप्रैल 1827 को हुआ। उनका विवाह सावित्री बाई के साथ हुआ। उन्होंने शूद्रों तथा स्त्रियों की शिक्षा के लिए अनेक स्कूल खोले तथा एक वाचनालय की भी स्थापना की। विधवाओं की दशा सुधारने के लिए भी प्रयास किया। 1863ई0 में पूना में "बाल हत्या प्रतिबंधक गृह" की स्थापना की। 1873ई0 में ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गयी। सत्य शोधक समाज ने शिक्षा के प्रचार-प्रसार के द्वारा अन्ध परम्पराओं को नष्ट करने का प्रयास किया। सत्य शोधक समाज ने बगैर, ब्राह्मण पुरोहित के विवाह सम्पन्न कराये जाने की व्यवस्था की। सत्य शोधक समाज के प्रभाव से व्यर्थ के रीति-रिवाजों और ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर गहरी चोट पहुंची। इस प्रकार ज्योतिबा फुले ने शूद्रों, किसानों व कामगारों में जागृति पैदा कर समतामूलक समाज के निर्माण में अपना महान योगदान दिया।

मुख्य शब्द : समाज क्रांति, शूद्र, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह सत्य शोधक समाज, ब्राह्मणवादी व्यवस्था।

प्रस्तावना

भारतीय समाज क्रांति के जनक ज्योतिबा फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के "काटगूँ" गाँव में 17 अप्रैल 1827 को हुआ। उनके पिता का नाम गोविंदराव तथा माता का नाम चिमना बाई था। वे माली जाति के थे, 7 वर्ष की उम्र में उन्हें गाँव की एक पाठशाला में प्रवेश दिलाया गया। उस समय निम्न जाति के व्यक्ति के लिए शिक्षण संस्था में अध्ययन करना आसान न था। भारी दबाव के कारण ज्योतिबा के पिता ने उन्हें पाठशाला से निकाल लिया। बाद में सन् 1841 में जब ज्योतिबा की उम्र 14 वर्ष की थी, अपनी गलती महसूस कर गोविंद राव ने उन्हें फिर स्कूल में भर्ती करा दिया। सन् 1840 में 13 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा का विवाह सावित्री बाई के साथ हुआ।

सन् 1848 में ज्योतिबा ने यह निश्चय किया कि जिन वर्गों के लिए शिक्षा अप्राप्य है, उनके लिए सबसे पहले शिक्षा का प्रबंध किया जाय, स्त्रियों और अछूत दोनों के लिए धर्मदृष्ट्या शिक्षा निषिद्ध है, तो उनके लिए ही नये स्कूल खोले जाएँ। उन्होंने अछूत बच्चों के लिए पूना में स्कूल शुरू किया। जुलाई 1857 में उन्होंने पूना में केवल लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, ज्योतिबा की पत्नी सावित्री बाई ने इस स्कूल में शिक्षण कार्य आरम्भ किया। 1852 में ज्योतिबा ने पिछड़े हुए लोगों के लिए एक वाचनालय की भी स्थापना की। लगभग 8–10 सालों तक ज्योतिबा ने अपना सारा ध्यान दलितों और स्त्रियों की शिक्षा पर लगाया।

विधवाओं की दशा सुधारने के लिए ज्योतिबा ने अनेक कार्य किये। उन्होंने कुछ विधवाओं का विवाह कराया। विधवाओं की मुण्डन जैसी निर्म प्रथा की समाप्ति के लिए उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने 1863 ई0 में पूना में "बाल हत्या प्रतिबंधक गृह" शुरू किया कोई भी विधवा यहां आकर बच्चे को जन्म दे सकती थी। अनाथालय में गर्भिणी विधवाओं के लिए प्रसव की समुचित व्यवस्था थी, और छूट थी कि वे चाहे तो अपने नवजात शिशु को वहीं छोड़ दे, या अपने साथ ले जायें। ज्योतिबा का दत्तक पुत्र यशवंत वहीं जन्मे शिशुओं में से एक था।

भारत की शिक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में विचार करने के लिए सरकार ने 1882 ई0 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया। 19 अक्टूबर 1882 ई0 को ज्योतिबा ने इस हंटर कमीशन के सामने शिक्षा नीति विषयक अपना लिखित अभिमत प्रस्तुत किया। ज्योतिबा ने अपने प्रतिवेदन में कहा "सरकार यह सपना देख रही है, कि उच्च वर्ग के लोग निम्न लोगों के वर्ग में शिक्षा का प्रचार करेंगे। इस सपने की पूर्ति के लिए ही वह गरीब किसानों से जो पैसा इकट्ठा करती है, उसे उच्च वर्ग की शिक्षा पर खर्च कर डालती है। विश्वविद्यालय भी अमीरों के लड़कों को पढ़ाते हैं, और उनकी

भौतिक उन्नति में सहायक बनते हैं। लेकिन विश्वविद्यालयों से निकले हुए इन सुशिक्षितों ने अपने देशबन्धुओं की उन्नति के लिए कुछ नहीं किया है।"

उनका मानना था कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था हो, इतिहास, भूगोल, व्याकरण, हिंसाब—किताब के साथ—साथ उसमें खेती करने का प्रारम्भिक ज्ञान भी दिया जाय।

हिन्दुस्तान के वॉयसराय लार्ड लिटन पूना आने वाले थे। नगरपालिका अध्यक्ष ने यह तय किया कि उनके स्वागत में एक हजार रुपया खर्च किया जायेगा। ज्योतिबा ने इस बात का विरोध किया। उनका मानना था "हमारे जैसे गरीब देश को केवल शहर सजाने के लिए इतना पैसा खर्च करना शोभा नहीं देता, अच्छा हो कि यह धनराशि पिछड़े हुए वर्गों की शिक्षा पर खर्च किया जायें।

24 सितम्बर सन् 1873 को को ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गयी। सत्य शोधक समाज का अभिप्राय 'दूध सीकिंग सोसाइटी' से है, जिसका तात्पर्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, जो सत्य की खोज पर आधारित हो और जिसमें किसी प्रकार का पाखण्ड न हो, सत्य शोधक समाज के निम्नलिखित छः प्रमुख सिद्धान्त निर्धारित किये गये—

1. ईश्वर सर्वव्यापी, निर्गुण, निर्विकार, सरलस्वरूप एवं एक है, वह प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है।
2. ईश्वर की भवित प्रत्येक मनुष्य मात्र का अधिकार है, और परमेश्वर की प्रार्थना में किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है।
3. मनुष्य की श्रेष्ठता जाति के आधार पर नहीं बल्कि उसके गुणों से हो।
4. कोई गथ न तो ईश्वर प्रणीत है, और न ही पूर्ण रूप से प्रमाणिक, सभी ग्रंथ मनुष्यों द्वारा निर्मित हैं।
5. समाज ईश्वर के अवतारवाद पर विश्वास नहीं करता है।
6. पुनर्जन्म, कर्मकाण्ड, जप—तप इत्यादि अज्ञानमूलक हैं।

ज्योतिबा फुले का मानना था कि मनुष्य अगर सत्य के अनुसार चलेगा तो हो सुखी होगा, सुखी होने का इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है।

उनके अनुसार स्वर्ग नाम की कोई वस्तु है न नक नाम की, कोई मनुष्य आज तक स्वर्ग देखकर न वापस लौटा, न नक देखकर। ये दोनों कल्पनायें मात्र हैं। पाप और पुण्य का विचार भी इसी तरह अलग ढंग से करना चाहिए। अपनी सुख प्राप्ति के लिए अन्यों को शारीरिक या मानसिक पीड़ा न देना ही पुण्य है। स्वार्थ के लिए धर्म की आड़ लेकर औरों को धौखा देना, उनकी

Remarking : Vol-2* Issue-3*August 2015

चीजें छीन लेना ही पाप है। ईश्वर ने शुभ—अशुभ, पवित्र, अपवित्र जैसी बातों का निर्माण नहीं किया। यह तो मानव मन का वह द्वन्द्व भाव है, जो ईश्वर की सृष्टि पर इस तरह का भेद थोपता रहता है। धर्म के क्षेत्र के दलाल इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे लूटते रहते हैं। अनुष्ठान, जप—तप, नैवेद्य, अन्नदान, यह सब लूटने के ही अलग—2 मार्ग हैं।

जिस तरह पशु—पक्षियों में कोई जाति भेद नहीं उसी तरह मानवों में भी कोई जाति भेद नहीं। वे सर्वथा सामान्य हैं। इस सृष्टि के निर्माता ने सभी स्त्री पुरुषों को जन्मतः स्वतंत्र और अनेक मानवी अधिकारों से सम्पन्न करके पैदा किया है। जो सत्य धर्म को मानता है, उस व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी के अधिकारों का हनन न करें, किसी पर किसी कारण से जोर जबरदस्ती न करें।

ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज ने शिक्षा के प्रचार—प्रसार के द्वारा अन्ध परम्पराओं को नष्ट करने का प्रयास किया। सत्य शोधक समाज ने बगैर ब्राह्मण पुरोहित के विवाह सम्पन्न कराये जाने की व्यवस्था की। इससे बिना वाह्य आडम्बर के कम खर्च में विवाह सम्पन्न हो जाता था। इससे ब्राह्मण पुरोहितों का वर्चस्व टूटा।

सत्य शोधक समाज ने मृत्यु के बाद होने वाले 'दस पिण्ड संस्कार' को बहुत सरल बनाया। अब यह संस्कार बगैर ब्राह्मण के ही सम्पन्न कराया जाने लगा।

समाज की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से भी जन जागरण अभियान चलाया। उन्होंने गुलामगिरी, किसान का कोड़ा, सार्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों की रचना की।

इस प्रकार सत्य शोधक समाज के प्रभाव से व्यर्थ के रीति—रिवाजों और ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर गहरी चोट पहुंची। महात्मा ज्योतिबा फुले ने शूद्र, अति शूद्र, किसान व कामगारों में जागृति पैदा की और समता मूलक समाज के निर्माण में अपना महान योगदान दिया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कीर, धनंजय (1974)—महात्मा ज्योतिबा फुले, पापुलर प्रकाशन, मुम्बई।
2. चंचरीक, कन्हैयालाल (2000)—महात्मा जोतीराव फुले, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. शहा, डॉ. मुबारक (2006)—भारतीय समाज क्रांति के जनक महात्मा ज्योतिबा फुले, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. बेसन्तरी, देवेन्द्र कुमार (2012)—भारत के सामाजिक क्रांतिकारी, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली।